24 अगस्त 13

सेवा में,

मंडल आयुक्त,

आगरा मंडल,

आगरा.

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित पेड़ काटने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

1. क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, आगरा ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक आईए संख्या 460, जनवरी 2008 में लगाई थी। इस प्रार्थना पत्र में निम्न अनुसार पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी -

a. खेरिया एयर पोर्ट रोड से ताज महल(पूर्वी गेट)	
वाया माल रोड और शास्त्री क्रॉसिंग लंबाई 5.56 किमी	613
b. शास्त्री क्रॉसिंग से होटल ट्राईडेंट क्रॉसिंग	
वाया होटल मुगल शेरटन लंबाई 3 किमी	107
c. होटल ट्राईडेंट क्रॉसिंग से 10 किमी माइल स्टोन	
आगरा-फतेहाबाद रोड वाया जे.पी. होटल लंबाई 3.06 किमी	1177
d. जे.पी. होटल से ताज महल(पूर्वी गेट) लंबाई 2.35 किमी	435

कुल	2332
	---

2. उक्त प्रार्थना पत्र पैरवी के अभाव में न्यायालय की फाइलों में धूल खा रहा है। यहां माल रोड पर कई वाहन सड़क पर खड़े पेड़ों से टकराकर काफी लोगों को गंभीर घायल और बाद में मौत के मुंह में ले जा चुके हैं। विजित भार्गव की मौत भी इन पेड़ों के काटे जाने के लिए शासन-प्रशासन को पर्याप्त नहीं लगती। शायद अभी कुछ और कुर्बानियों की जरूरत दिखाई पड़ रही है। पेड़ों का कटना न सिर्फ दुर्घटनाएं रोकने के लिए बल्कि

पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए भी अति महत्वपूर्ण है।

3. आगरा-शमशाबाद रोड को चार लेन के प्रोजेक्ट में 697 पेड़ काटे जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। यह संख्या सन् 2008 में उच्चतम न्यायालय में 2332 पेड़ काटे जाने की अनुमति के लिए लंबित प्रार्थना पत्र से अलग हैं। चौड़ीकरण के लिए हुए सर्वेक्षण में इन पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है। अब इनके काटे जाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्युडी) उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेने की कसरत में जुटा है।
4. सूबे में सरकार बनने के बाद पहली आगरा आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा-शमसाबाद रोड को फोरलेन करने की घोषणा की थी। जिसके बाद इस पर तेजी से कार्रवाई की गई थी। पीडब्ल्युडी के 79 करोड़ रुपये लागत के प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। फिर भी इस योजना पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इसके दायरे में आ रहे पेड़ों के कटने की अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। कटने वाले पेड़ों की संख्या कम करने के लिए पीडब्ल्युडी और वन विभाग ने संयुक्त सर्वेक्षण किया था।

5. इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 17 मई 2013 को आगरा एवं कानपुर महानगर के समग्र विकास हेतु हुई बैठक के कार्यवृत्त में पैरा नं. छह पर दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

   “फतेहाबाद रोड का चौड़ीकरण:- आगरा खेरिया एयरपोर्ट एवं आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से फतेहाबाद रोड को चौड़ा करने के निर्देश दिए गये। इस संबंध में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा अवगत कराया कि यह परियोजना पूर्व में स्वीकृत है, परन्तु कतिपय वृक्षों के कटान हेतु मा. उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्रतीक्षित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जहां पर संभव हो सके बिना पेड़ काटे चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ कर लिया जाये और मा. उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी की जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो स्पेशल अधिवक्ता की सेवाओं का उपयोग भी किया जाए”।

आगरा डवलपमेंट फाउंडेशन का अनुरोध है कि मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में प्रभावी पैरवी के लिए आगरा में संबंधित विभागों की बैठक लेकर उनसे तेजी लाने के लिए कहा जाए। खासतौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्युडी) को निदेशित किया जाए कि वह मौजूदा अधिवक्ता या और विशेषज्ञ अधिवक्ता की तैनाती कर प्रार्थना पत्र पर प्रभावी पैरवी करें, ताकि मा. उच्चतम न्यायालय शीघ्रताशीघ्र पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करें।

आपके द्वारा कार्यवाही की प्रतीक्षा में।

सधन्यवाद एवं आदर सहित।

पूरन डाबर	वाई. के. गुप्ता	के. सी. जैन	राकेश गर्ग	चक्रेश जैन
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	संयुक्त सचिव	कोषाध्यक्ष